

## बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

प्राप्तिक्रम-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-विविध-06/2018- २१०/३१। नि।

दिनांक- २५ मई'१८

प्रेषक,

अपर आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,  
दिव्यांग के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थान,  
(राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय से निबंधित)

विषय :-

दिनांक-०९ जन' 2018 को Access Audit Team के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु  
अपने विभाग/निदेशालय से एक नोडल पदाधिकारी को भेजने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध पर दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में आगीदारी सुनिश्चित करने हेतु तथा समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली) द्वारा सुगम्य भारत अभियान सम्पूर्ण राष्ट्र में संचालित किया गया है। इस अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार परिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-०५.०४.२०१८ को प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सुगम्य भारत योजना के अन्तर्गत पटना में 50 प्रतिशत सरकारी भवनों (कम से कम 20 भवन) का विधिवत Access Audit कराया जाय। साथ ही आर0बी0आई0 कार्यालय, महालेखाकार कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टूरेन्ट आदि सहित कम से कम 100 निजी/अर्द्धसरकारी प्रक्षेत्र के भवनों की भी प्रारंभिक जाँच की जाय और उनके accessible/disable फ़ैल्डली नहीं पाये जाने पर उन्हें नोटिस दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त आलोक में कहना है कि वर्तमान स्थितिनुसार Access Auditing के लिए प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों (Access Auditors) की संख्या काफी कम है। बिहार राज्य के सम्बन्ध में स्थिति अपेक्षाकृत अधिक दयनीय है। बिहार राज्य में सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों की पूर्ति एवं त्वरित प्राप्ति के लिए ये स्थिति अनुकूल नहीं है। स्पष्टतः है कि राज्य में अधिक संख्या में Access Auditors (Trained professionals in the field of Access Auditing) की आवश्यकता है।

उपरोक्त आलोक में कार्यालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना द्वारा Access Auditing का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिनांक-०९.०६.२०१८ (शनिवार) को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भाग लेने हेतु अपने नोडल पदाधिकारी को नीचे दिये गये निर्देश के अनुसार आवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिव्यांगता प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य से जुड़े कोई भी व्यक्ति अपने बायोडाटा तथा उचित प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कार्यालय को ई-मेल या हस्तालिखित/टंकित माध्यम से दि०-०१.०६.२०१८ तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यालय को किये गये आवेदन के आधार पर योग्य प्रशिक्षणार्थियों के चयन का अधिकार होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल (Venue) तथा समय की जानकारी बेवसाईट तथा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को दूरभाष माध्यम द्वारा यथासमय प्रदान की जायेगी।

जापांक-सं०सं०-०६/रा०आ०नि०-विविध-०६/२०१८ २१०/३१। नि।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

अपर आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

दिनांक २५ मई'१८

अपर आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।